

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प
 पीपलीगढ़

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि.
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिले
 की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पीपलीगढ़	797	माधुसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	माधुसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह

[Signature]
 सहायक कलक्टर एवं
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 जिला-राजसमन्द
 पदेन सहा.कलक्टर.

कमांक :- 125/2311
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 26/9/25

1. तहसीलदार श्रीम. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री माधु सिंह/लक्ष्मण सिंह को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
 सहायक कलक्टर एवं
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 जिला-राजसमन्द